न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 167–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–11–14 पारित द्वारा अपर तहसीलदार, वृत मुरार ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 1/14–15/अ–3.

1– सुरेशपाल पुत्र वंशीलाल पाल
2– राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा
3– श्रीमती राजवती बघेल पत्नी दाताराम बघेल
4– श्रीमती उषा तोमर पत्नी ब्रिजेन्द्रसिंह तोमर
निवासीगण ग्राम जडेरूआ खुर्द
तहसील व जिला ग्वालियर
5– श्रीमती गीता देवी पत्नी अहिवरण सिंह
6– श्रीमती विरमा देवी पत्नी शिवचरण मिश्रा .....आवेदकगण

विरूद्ध

इन्द्रपाल सिंह पुत्र पूरनसिंह दांगी
निवासी उन्नाव रोड
तहसील व जिला दतिया .....अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक,अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार, मुरार ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 20–11–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अपर तहसीलदार, मुरार ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम जडेरूआ खुर्द स्थित भूमि सर्वे कमांक 18/27 मिन रकबा 0.589 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 97/4 मिन रकबा 0.100 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 101/1 मिन रकबा 0.021 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 102/4 मिन रकबा 0.042 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 103/4 मिन रकबा 0.021 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.773 हेक्टेयर भूमि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की है । अनावेदक उक्त भूमियों का बटांकन कराना चाहता है, अतः बटांकन किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 1/14–15/अ–3 दर्ज किया जाकर दिनांक 20–11–14 को आदेश पारित कर आवेदकगण की आपत्ति निरस्त की जाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत फर्द बटान एवं रिपोर्ट स्वीकार की गई । अपर तहसीलदार के इसी इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक की भूमि सर्वे कमांक 97/4 के हम पड़ौसी भूमिस्वामी हैं, किन्तु उन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, अतः तहसील न्यायालय की सारी कार्यवाही अवैधानिक, अन्यायपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत सभी पड़ौसी कास्तकारों को व्यक्तिशः सूचना दी जाना आवश्यक है परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये, जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि शून्य होकर निरस्ती योग्य है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक के दो प्रतिवेदन हैं, जो परस्पर विरोधाभासी होने से विश्वसनीय नहीं है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि हमारी आपत्ति पर बिना विचार किए आदेश पारित करने में तहसील न्यायालय द्वारा घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, जो निरस्त किए जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा तहसीदार के समक्ष दिनांक 28–9–14 को बटांकन का ही आवेदन दिया गया था, सीमांकन संबंधी कोई सहायता नहीं चाही गई थी, किन्तु बाद में मिली भगत कर आवेदन पत्र में सुधार किया गया है । इतना ही नहीं सीमांकन संबंधी कोई निर्देश ही नहीं हैं तो फिर सीमांकन प्रतिवेदन कहां से आया । तर्क में यह भी कहा गया कि दिनांक 20–11–14 को

बटांकन फायनल हुआ है, तो फिर दिनांक 7–10–14 को सीमांकन कैसे हो सकता है, अर्थात बटांकन आदेश बाद का है और सीमांकन आदेश पहले का, जो कि त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किए जाने योग्य हैं । अन्त तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय की सारी कार्यवाही नियम विरूद्ध होने से निरस्त की जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वे क्रमांक 97/4 रकबा 0.100 हेक्टेयर के भूमिस्वामी वर्ष 2006 में कपिल शर्मा थे । उनके द्वारा वर्ष 2006 में सीमांकन कराया गया है, जो फायनल हो चुका है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा उक्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है और नामांतरण पंजी क्रमांक 29 दिनांक 10–8–2007 द्वारा उसका नामांतरण हो गया है, किन्तु नामांतरण से अनावेदक संतुष्ट नहीं था, इसलिए व्यवहार वाद प्रचलित है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा बटांकन एवं सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । अंत में प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय का आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा फर्द बटान तैयार करने में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और तहसीलदार द्वारा बटांकन आदेश पारित करने में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति निरस्त की गई है, परन्तु आपत्ति निरस्त करने का कारण आदेश में नहीं दर्शाया गया है । राजस्व निरीक्षक द्वारा फील्ड बुक भी तैयार नहीं है, क्योंकि फील्ड बुक तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न नहीं है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा पारित बटांकन आदेश से अनेक कृषक प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें भी सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित बटांकन आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार, मुरार ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–11–14 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

7/ तहसील के इसी प्रकरण के आदेश दिनांक 28–9–14 के विरूद्ध निगरानी क्रमांक 3964–पीबीआर/14 तथा 3570–पीबीआर/14 भी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत हुई है । क्योंकि सभी प्रकरणों की एक ही विषय वस्तु है तथा दिनांक 20–11–14 का आदेश तहसीलदार का पश्चातवर्ती आदेश है । अतः यह आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 3964–पीबीआर/14 एवं 3570–पीबीआर/14 में भी लागू होगा । अतः आदेश की प्रति उक्त प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर